



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), दौसा

क्रमांक:सहायता/लेखा/2025/592

दिनांक:- 23/4/25

वित्तीय सलाहकार

आपदा प्रबन्धन,सहायता एवं

नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

विषय:- मद 2245-01-800-04-04-41 में बजट आवंटन करने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ.3(4)आ.प्र.एव. सहा./स्था./2012/RAJKAJ Ref. No. 13487173 जयपुर दिनांक 17.02.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में इस कार्यालय में लगाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय के भुगतान हेतु मद 2245-01-800-04-04-41 संविदा व्यय मद में बजट राशि रु. 100000/- (अक्षरे एक लाख रुपये) का आवंटन करने का श्रम करें, ताकि कार्मिक के बकाया व आगामी मानदेय का भुगतान किया जा सके।

अति० जिला कलक्टर एवं,
प्रभारी अधिकारी (सहायता), दौसा

Document certified by Manmohan
Meena <ramrudra1307@gmail.coM>.

Digitally Signed by MANMOHAN
MEENA

Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate

Date :23-04-2025 05:50:11

कमरा न० 204, प्रथम तल सहायता अनुभाग, जिला कलक्टर कार्यालय, दौसा दूरभाष नम्बर:- 01427-223889, 223868

ई-मेल reliefsection0@gmail.com, DM-DAU-RJ@NIC.IN
ajKaj Ref No.: 14897992

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ:3(4)आ.प्र.सहा./स्था/2012/

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक स्वीकृति

वित्त विभाग की आईडी संख्या 332500107 दिनांक 30.01.2025 के अनुसरण में राज्य के पूर्व गठित 33 जिलों के लिए जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढ़ीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किये जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किये जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों के लिए 33 यूनिट मैन विद् मशीन (प्रत्येक जिले में 01) रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2014 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/ आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।
2. भारत सरकार की एसडीआरएफ गाईडलाइन के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से उक्त प्रयोजनार्थ राशि का व्यय किया जा सकेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगा:-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01- सूखा

800- अन्य व्यय

(04)- (कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पोंस)

(04)- [आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण]

41- संविदा व्यय

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ उपशासन सचिव, अति.मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (भुगतान) आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।



Validity unknown
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.02.17 17:15:44 IST
Reason: Approved